उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

विद्युत नियामक भवन, आई0एस0बी0टी0 के समीप, पी0ओ0–माजरा, देहरादून–248171
दूरभाष–0135–2641115 फैक्स–0135–2641314, वैबसाइट www.uerc.gov.in, ई–मेल- uttaranchalerc@rediffmail.com

सार्वजनिक सूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लागू सोलर पी.वी., सोलर थर्मल एवं ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप व लघु सोलर पी.वी. संयंत्र तथा इसके पश्चात आयोग द्वारा समीक्षित/संशोधित किये जाने तक पूंजी लागत के मानदण्ड की समीक्षा के सम्बन्ध में जन–सुनवाई।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61(h), 86(1)(e) सपठित धारा 181(2)(zd) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लागू सोलर पी.वी., सोलर थर्मल एवं ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप व लघु सोलर पी.वी. संयंत्र तथा इसके पश्चात आयोग द्वारा समीक्षित/संशोधित किये जाने तक पूंजी लागत के मानदण्ड की समीक्षा के सम्बन्ध में प्रारूप आदेश जारी किया गया था। उक्त प्रारूप आदेश पर सुझाव/आपत्तियां प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 18.05.2015 थी।

इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 23.06.2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे जन–सुनवाई आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वे उक्त निर्धारित जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

वि0 सं0–09/2015–16 **सचिव**